न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 02/2018

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2018/00037

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 धनी बैवा सवा, 2 आम्बा पुत्र सवा जातियान–रेबारी, निवासीगण– नानोल, तहसील–सांचौर		1 केहराराम पुत्र दानाराम जाति–रेबारी, निवासी–नानोल तहसील–सांचौर, जिला–जालोर 2 व्यवस्थापक एस.बी.आई बैंक शाखा–पांचला 3 राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 03.07.2018

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण श्री भीमाराम विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया व श्री अर्जुन देवासी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.01.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वांके सरहद मौजा नानोल, पटवार हल्का–नानोल में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा नंबर 456 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 5.13 हैक्टेयर किस्म जाव प्रथम चाही प्रथम, खसरा नंबर 477/1048 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर के आये हुए है। उपरोक्त आराजी का हम प्रार्थीगण सदैव लगान अदा करते आ रहे है तथा गिरदावरी हमारे नाम तज्वीज होती आ रही है। हम प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जाकाश्त के उक्त खेत नक्शे में अलग तरमीमसुदा आये हुए है लेकिन उक्त खेतों की माठ पर वर्षों पुराने खड़े दरखत व थोर को काटकर माठ को तोड़ते रहते है तथा जबरन हमारे खेतों को हड़पना चाहते है। अप्रार्थीगण आये दिन उक्त माठ को लेकर टंटा फसाद करनें को उतारू रहते है। जिससे अप्रार्थीगण के झगड़े टंटे का सामना नहीं कर सकते। इस हेतु हम प्रार्थीगण ने गांव के मौजूज पंच मुखियानों को इकट्ठा कर पंच पंचायती भी करवाई, लेकिन अप्रार्थीगण नहीं मानें तथा अपनी बेजा हरकतों से बाज नहीं आ रहे है तथा मौका पाकर आये दिन हम प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत की माठ तोड़कर सीमाएं नष्ट करते रहते है। इसका स्थाई हल मात्र खेती की [illegible] पत्थर चीणें, दीवार आदि बनाकर ही हो सकता है। अन्य कोई विकल्प नहीं होने की [illegible] में यह [illegible]ना–पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की कब्जा काश्त खातेदारी की भूमि है, जिस पर [illegible] है लेकिन अप्रार्थीगण हमारे उक्त कब्जे में जबरन प्रवेश कर अन्दर घुसना चाहते है तथा अपनी मनमर्जी अनुसार सीमा तय करते है। हम प्रार्थीगण द्वारा मना करने पर नहीं मानकार अप्रार्थी[illegible] झगड़ा टंटा करनें पर उतारू रहते है तथा अप्रार्थीगण ऐलानियां धमकीयां देते है कि हम आपको जबरन खेत के कब्जे से बेदखल कर देंगे। हम प्रार्थीगण के वर्षों पुरानी माठ को तोड़ते रहते है। जिससे हमें हैरान–परेशान कर रखा है। सुविधा के लिहाज से प्रार्थना–पत्र के साथ प्रदर्श नक्शा 'अ' पेश किया जा रहा है। उक्त नक्शे को प्रार्थना–पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। नक्शे में लाल स्याही के चिन्हित रेखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

अनुसार सीमांकन का हमारे खेत खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ है। चिन्हित लाल स्याही स्थान से स्थायी नेखमबंदी करवाना चाहते है जिससे हम पक्षकारों के हमेशा के लिए सीमा विवाद समाप्त हो जाएगा। अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथपत्र पेश कर निवेदन है कि मौजा–नानोल, पटवार हल्का–नानोल में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा संख्या 456 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 5.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477/1048 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'अ' में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार स्थायी नेखमबंदी हेतु पत्थरगढ़ी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा आवश्यकतानुसार समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना सांचौर से दिलायी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के पुराने खेत खसरा संख्या 110 व हम अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर पुराने 111 के मध्य की दीवार बिल्कूल सीधी है जो नक्शे से स्पष्ट है तथा खसरा नंबर 110 के नये सृजित नंबर 456, 477/1048, 477 व पुराने खसरा नंबर 111 के नये सृजित खसरा नंबर 478, 482, 481, 479, 488 इत्यादि में उतरी भाग के खसरा नंबर 478 व मुख्यतः खसरा नंबर 482 के व पुराने खसरा नंबर 110 के नये सृजित नंबर 477 के बीच की तरमीम का मुलायजा फरमाया जाए तो नये नक्शे में बिल्कूल मोड देकर पुराने खसरा नंबर 110 की तरमीम मेरे खातदेारी के पुराने खसरा नंबर 111 में दर्शा दी गई है जो गलत है तथा उसके आधार पर प्रार्थीगण वाद के लंबित रहते कोई नेखमबंदी करवाने का अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र भी क्षैत्राधिकार से परे जाकर उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश किया है जो गलत है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा गलत पेश किया है जिसमें गलत की गई तरमीम के आधार पर नेखमबंदी चाही गई है जो गलत है, उसके लिए पूर्व से ही सन् 2015 से वाद खातेदारी घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश किया जा चुका है इसलिए वाद के लंबित रहते व अधिकारों की घोषणा तक कोई नेखमबंदी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण ने नये सर्वे अधिकारियों द्वारा पुराने रेकर्ड से हटकर व मौका स्थिति से हटकर गलत तरमीम की है व पुराने खसरा नंबर 110 का भाग पुराने खसरा नंबर 111 में दर्शाया है जो गलत दर्शाया है, उसको आधार मानकर यह नेखमबंदी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण ने पेश किया है जो गलत है, तथा इसके लिए हकों की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र सन् 2015 में नगाराम वगैरह बनाम आम्बाराम वगेरह का पेश किया जा चुका है तथा उसमें पूर्ण अधिकारों की घोषणा होकर रेकर्ड दुरूस्ती होना तय है, क्योंकि यह रेकर्ड दुरूस्ती का मामला है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश नेखमबंदी का प्रार्थना–पत्र इस संबंध में वाद के लंबित रहते अपोषणीय है तथा इसका क्षैत्राधिकार तहसीलदार सांचौर को है तथा श्रीमान न्यायाल[illegible]र नहीं है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें जावें। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 [illegible] विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थीग[illegible] प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा–नानोल, पटवार हल्का–नानोल में हम प्रार्थीगण के खातेदारी व मालिकाना हकहकूक कब्जाकाश्त के खेत खसरा संख्या 456 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477 रकबा 5.13 हैक्टेयर, खसरा नंबर 477/1048 रकबा 0.01 हैक्टेयर कुल रकबा 5.17 हैक्टेयर का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा प्रदर्श 'अ' में लाल स्याही से चिन्हित अनुसार स्थायी नेखमबंदी हेतु पत्थरगढ़ी चीणों से करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें तथा आवश्यकतानुसार

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

समुचित पुलिस इमदाद भी पुलिस थाना सांचौर से दिलायी जाकर उक्त खेत की सीमा की स्थायी नेखमबन्दी करवाये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नये सर्वे अधिकारियों द्वारा पुराने रेकर्ड से हटकर व मौका स्थिति से हटकर गलत तरमीम की है व पुराने खसरा नंबर 110 का भाग पुराने खसरा नंबर 111 में दर्शाया है जो गलत दर्शाया है, उसको आधार मानकर यह नेखमबंदी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण ने पेश किया है जो गलत है, तथा इसके लिए हकों की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र सन् 2015 में नगाराम वगैरह बनाम आम्बाराम वगेरह का पेश किया जा चुका है तथा उसमें पूर्ण अधिकारों की घोषणा होकर रेकर्ड दुरूस्ती होना तय है, क्योंकि यह रेकर्ड दुरूस्ती का मामला है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा पेश नेखमबंदी का प्रार्थना–पत्र इस संबंध में वाद के लंबित रहते अपोषणीय है तथा इसका क्षैत्राधिकार तहसीलदार सांचौर को है तथा श्रीमान न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है अतः प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें जावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में भू–अभिलेख निरीक्षक एवं इस स्तर के उपर के अधिकारी द्वारा मौका जांच रिपोर्ट पेश नहीं करने तथा इसी विषयवस्तु एवं भूमि का दुरूस्ती का वाद न्यायालय उपखण्ड एवं सहायक कलक्टर सांचौर में विचाराधीन होने एवं उपरोक्त प्रार्थना–पत्र में माठ का विवाद साबित नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 माठ का विवाद साबित नहीं होने तथा इसी विषयवस्तु को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर में विचाराधीन होने तथा पूर्णतया साबित नहीं होने व सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक **10.01.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.02.07 17:04:03 IST
Reason: SelfAttested